

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सचिव राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड  
सिंचाई भवन जे.एल.एन. मार्ग जयपुर

क्रमांक :- रा.रा.व.ना.बो./2022/1599

दिनांक :- 10.10.2022

श्रीमान निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
जयपुर।

विषय :- राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के माननीय कार्यकारी  
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यगणों के मनोनयन संबंधी आदेश विभागीय वेबसाईट  
पर अपलोड करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान राज्य वरिष्ठ  
नागरिक कल्याण बोर्ड में कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यगणों मनोनयन संबंधी आदेशों को  
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पूर्व में निदेशालय सान्याअवि को पत्राचार किया जा चुका है  
परन्तु आदिनांक तक मनोनयन संबंधी आदेश अपलोड नहीं हुये है। इस क्रम में माननीय कार्यकारी  
अध्यक्ष महोदय ने गहन नाराजगी व्यक्त की है।

अतः श्रीमान से पुनः निवेदन है कि कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यगणों के  
मनोनयन संबंधी आदेश यथाशीघ्र अपलोड करवाने हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान कराने का श्रम  
करावें। माननीय अध्यक्ष महोदय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु  
श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- मनोनयन संबंधी आदेश।

"सादर"

PSB  
18/10

सचिव

राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड  
जयपुर

दिनांक :- 10.10.2022

क्रमांक :- रा.रा.आ.पि.व.बो./2022/1600-05  
प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव/सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
05. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
06. श्रीमान ACP महोदय, आई.टी. अनुभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।

PSB  
18/10  
सचिव

जयपुर, दिनांक 14/03/2022

क्रमांक: प 11(1)नम./2021

आदेश

श्री गोपालसिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ नगरिक कल्याण बोर्ड को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राजस्थान महोदय की उपरोक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री शेखावत को राज्य मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प. 11(1)नम./1999 दिनांक 30.11.2012 एवं 07.12.2017 द्वारा प्रदत्त सुविधायें देय होंगी।

श्री शेखावत को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला वार्षिक व्यय संबंधित प्रशासनिक विभाग-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

मति

(जिला-द. कुंभलगुप्त)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. निरिच्छ सहायक, मंत्रिमण/राज्य मंत्रिमण।
4. श्री गोपालसिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ नगरिक कल्याण बोर्ड।
5. मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. नमस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
9. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।
11. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
12. अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
14. कंट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटो गैराज, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।

(केलाश चन्द गुप्ता)  
वरिष्ठ सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैच, जयपुर।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ सलाहकार

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक एफ 13(1)0/सा.सु./वृ.क.बो./सान्याअवि/2016-17/7132

जयपुर दिनांक 10.02.2022

आदेश

राज्य सरकार की आदेश क्रमांक एफ 13( )/सा.सु./व.ना.बोर्ड/2002/24218 दिनांक 05.06.2002 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह शेखावत को "राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड" का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

37  
10/2/2022  
(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(1)0/सा.सु./वृ.क.बो./सान्याअवि/2016-17/7133-52 जयपुर दिनांक 10.02.2022  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, /सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्री गोपाल सिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड जयपुर, राज0।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
12. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
13. समस्त विभागाध्यक्ष।
14. समस्त जिला कलक्टर।
15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
16. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
17. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।
18. सचिव, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड जयपुर।
19. समस्त जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
20. गार्ड फाईल।

37  
10/2/2022  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

(12)

85

क्र. सं. 11(1)मं.सं./99

जयपुर, दिनांक: 30/11/12

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 08.01.2000, दि. 30.07.2010, दि. 24.2.2012 एवं दिनांक 30.05.2012 आज्ञा क्र. सं. 11(4)मं.सं./06 दिनांक 12.09.2008 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं में सरकार भत्ता की अतिरिक्त सुविधा का तुलना प्रणाली से प्रदान करते हुए पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार संशोधित (इकजाई) आदेश जारी किये जाते हैं :-

क्र. सं.	विवरण	देय सुविधाएँ
1	भत्ता एवं सत्कार भत्ता	₹ 30,000/- एवं ₹ 20,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है) ₹ 27,000/- एवं ₹ 20,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा है) ₹ 24,000/- एवं ₹ 15,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें उपमंत्रियों स्तर का दर्जा है)
2	राज आवास	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु।
3	चिकित्सा सुविधा	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार।
4	यात्रा भत्ता	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री को देय (ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता।
5	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतु:- (क) राज्य में ₹ 1000/- प्रति दिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (ख) राज्य से बाहर ₹ 1250/- प्रति दिन (100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (उक्त दोनों यात्रायें वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी)
6	टेलीफोन	एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु। एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:- मंत्री स्तर हेतु 20,000/- काल्स प्रति दो माह में राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में उप मंत्री स्तर हेतु 7,500/- काल्स प्रति दो माह में
7	जलन एवं सौजन्य की व्यवस्था	माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण/उप मंत्रिगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय होगी।

आवास भत्ता : आज्ञा क्र. सं. 11(4)मं.सं./06 दिनांक 12.09.2008 द्वारा प्रदत्त :-

क्र. सं.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर	वित्तीय आवास भत्ता	विशेष विवरण
1	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी नहीं हैं।	₹ 10,000/-	इन्हें विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
2	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी हैं।	₹ 3,000/-	—

सदस्यगण हेतु:- इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.09.2012 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न आयोगों में पदस्थापित सदस्यगण को निम्न प्रकार से राजकीय सुविधायें प्रदान की गई हैं:-

क्र. सं.	विवरण	देय सुविधाएँ
1	राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु :- (क) बैठक में उपस्थित फीस (प्रत्येक बैठक हेतु) (ख) कन्वेंस अलाउन्स (स्थानीय) (ग) यात्रा भत्ता	₹ 1000/- प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी।) ₹ 150/- प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी।) "ए" श्रेणी के अधिकारियों को देय दर के अनुसार (प्रत्येक माह में यात्रा-भत्ता की सीमा 5 रहेगी।)
2	टेलीफोन काल्स की सीमा	1800 काल्स प्रति दो माह तक की सीमा तक एक टेलीफोन बिल को राशि का पुनर्भरण देय।

यह आज्ञा वित्त (नियम) की आई.टी. संख्या 101204392 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।  
राज्यपाल की आज्ञा से

(डी० गोपाल मुखर्जी)  
सचिव उप सचिव

- सचिवालय के निम्न निम्न सूचिकाएँ एवं व्यक्तियों को सूचित किया है:-
1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  5. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  6. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  7. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  8. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  9. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  10. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।
  11. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर / मुख्य सचिव/सचिव (व्यक्तिगत/विशेष) मुख्य सचिव।

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 11(1)मं.मं./1999

जयपुर, दिनांक 18-07-2022

आदेश

राज्य में गठित विभिन्न आयोग/निगम/बोर्ड/समितियों में पदस्थापित अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, को वेतन एवं सत्कार भत्ता हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 07.12.2021 के अतिक्रमण में तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार वेतन एवं सत्कार भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

मद	देय सुविधाएँ
वेतन	65000/- (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 62000/- (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 60000/- (जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)
सत्कार भत्ता	55000/- (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 55000/- (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 40000/- (जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)

उक्त के अतिरिक्त शेष सुविधाएँ मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30.11.2012 के अनुसार यथावत रहेंगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102203352 दिनांक 18.07.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार ठाकुराध्याय)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विभिन्न बोर्ड/आयोग/निगम के मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
9. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।


(श्रीराम मोदी)  
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
पी 3/1, राजगण्डल रेजीडेन्सी परिसर, सिविल लाइन्स, जयपुर

क्रमांक : एफ 13(1)( )/सा.सु./घ.क.बो./सान्याअवि/2022/32284 जयपुर दिनांक 01.06.2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 13( )/सा.सु./व.ना.बोर्ड/2022/32179  
दिनांक 01.06.2022 के अन्तर्गत श्री राजेश टंडन को "राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड"  
का कार्यकारी उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।


  
(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 13(1)( )/सा.सु./घ.क.बो./सान्याअवि/2022/32285-48 जयपुर दिनांक 01.06.2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, /सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, राज.जयपुर।
6. श्री राजेश टंडन, कार्यकारी उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, राज.जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
13. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कलक्टर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
18. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।
19. सचिव, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड जयपुर।
20. समस्त जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
21. गार्ड फाईल।

  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

आदेश

राज्य सरकार के अधीन गठित विभिन्न आयोग/निगम/बोर्ड/समितियों में परस्परविरुद्ध अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण जो राज्य सरकार से कोई वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को निम्नानुसार वेतन, भत्तों का भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	भत्त	राशि (रुपयों में)
1	वेतन	30000 / -
2	वाहन भत्ता / यात्रा भत्ता	30000 / -
3	आवास भत्ता	10000 / -
4	टेलीफोन / इंटरनेट / मोबाइल / ब्रॉडबैंड	5000 / -
कुल योग		75000 / -

उक्त वेतन भत्तों का भुगतान इनके कार्यवाही तिथि से देय होगा तथा इसका अन्ततः राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। साथ ही प्रशासनिक विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि किसी महानुभाव को पृथक से वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो रही हैं। यदि किसी महानुभाव को राज्य सरकार द्वारा वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं तो उनके द्वारा दोनों में से एक सुविधा का भुगतान किये जाने के विकल्प का चयन किया जा सकता है।

यह आदेश विदित विभाग की आईडी संख्या 1022204208 दिनांक 19.07.2022 द्वारा प्रकाशित मंत्रिमण्डल के अनुमति में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)  
शासन सचिव

संबंधित विभागीय अधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य सचिव साठ राजस्थान, राजस्थान।
2. मुख्य सचिव साठ, मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. मुख्य सचिव (जी) साठ मुख्यमंत्री राजस्थान।
4. सचिव राजस्थान विधान सभा।
5. विभिन्न बोर्ड/आयोग/निगम के साठ अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण।
6. प्रमुख सचिव मुख्य सचिव राजस्थान।
7. प्रमुख सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. राज्यपाल के सचिव राजस्थान जयपुर।
9. राज्यपाल के सचिव निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
10. संबंधित विभाग के प्रशासनिक विभाग एवं अनुभाग।
11. प्रशासनिक प्रशासन विभाग।
12. निदेशक राजस्थान।



(श्रीराम मोदी)  
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर


क्रमांक : एफ 13(1)( )/सा.सु./वृ.ना.बो./सान्याअवि/2022/1256

जयपुर दिनांक 3.3.2022

आदेश

राज्य सरकार की आदेश क्रमांक एफ 13( )/सा.सु./व.ना.बोर्ड/2002/24218 दिनांक 05.06.2002 के अन्तर्गत "राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड" में निम्नानुसार गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किये जाते हैं :-

1. श्री गोविन्द मेहनसरिया
2. श्री आत्माराम गोयल
3. श्री शांति प्रसाद हर्ष

  
3/3/2022  
(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 13(1)( )/सा.सु./वृ.ना.बो./सान्याअवि/2022/1256-662 जयपुर दिनांक 3.3.2022  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, /सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड जयपुर, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
11. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।
17. सचिव, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड जयपुर।
18. समस्त जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
19. गार्ड फाईल।

  
3/3/2022  
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)



राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक : एफ 13(1)( )/सा.सु./वृ.क.बो./सान्याअवि/2022/57434

जयपुर दिनांक 29-3-2022

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 13( )सा.सु./व.ना.बोर्ड/2002/24218 दिनांक 05.06.2022 के अन्तर्गत "राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड" में निम्नानुसार सदस्य मनोनीत किये जाते हैं :-

1. श्री जोहरीलाल भीणा, विधायक
2. श्री भरोसीलाल जाटव, विधायक
3. श्री चुन्नी कप्तान, भरतपुर
4. श्रीमती माया सुवालका
5. श्री प्रताप सिंह राजपुरोहित, सेवानिवृत्त EO जोधपुर
6. श्री के.आर. मेघवाल, सेवानिवृत्त आईआरएस
7. डॉ. शिवचरण कुछवाहा, धौलपुर
8. श्री जी.एस. बापना, पूर्व महाधिवक्ता, जयपुर
9. संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर (पदेन)

(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 13(1)( )/सा.सु./वृ.क.बो./सान्याअवि/2022/57435-57 जयपुर दिनांक 29-3-2022  
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, /सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, राज.जयपुर।
6. कार्यकारी उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, राज.जयपुर।
7. सदस्यगण.....  
राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।